**संख्या-36/2024/543/12-5099/73/2023**

प्रेषक,

रवीन्द्र प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

**कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक:: 14 मई, 2024**

विषयः- प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 की कार्ययोजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-प्रसार-111/प्र०कृ०उ०स्वा०यो०/2024-25, दिनांक 07 मई, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में संचालित प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना का वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना की प्राशासनिक स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :-

**1.संक्षिप्त रूप रेखा:-**

कृषि में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग कृषक हित में करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना संचालित है। योजना का उद्देश्य किसानों को उनके फसल उत्पादों के लिए कृषि केन्द्र (एग्रीजंक्शन) के बैनर तले समस्त सुविधायें "वन स्टाप शॉप" के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही बेरोजगार कृषि स्नातकों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

इन एग्रीजंक्शन (वन स्टाप शॉप) केन्द्रों के माध्यम से निम्न सेवाओं को एक छत के नीचे उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जाए :-

1. उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माइक्रोन्यूट्रियन्ट्स, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक तथा जैव कीटनाशकों सहित समस्त कृषि निवेशों की आपूर्ति।
2. प्रसार सेवाये तथा कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन।
3. मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर संस्तुत उर्वरक एवं खाद की संतुलित मात्रा के बारे में किसानों को मार्ग-दर्शन देना।
4. लघु कृषि-यंत्रों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था।
5. नवीन तकनीकी की जानकारी।
6. विभिन्न कृषि योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना आदि के सम्बन्ध में परामर्शी सेवाएं दिए जाने एवं प्रचार हेतु एग्रीजंक्शन केन्द्रों पर LCD/ AV Aids के लगाये जाने की व्यवस्था।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उक्त के अतिरिक्त एग्रीजंक्शन केन्द्रों द्वारा कृषि उपकरणों की मरम्मत तथा अनुरक्षण पशु आहार, कृषि उत्पादों एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों की बिक्री मौसम/विपणन व अन्य सम्बन्धित सूचनायें उपलब्ध कराने जैसे कार्य भी किये जाए।

**2. कार्य क्षेत्रः-** प्रदेश के समस्त 75 जनपद।

**3. अनुमन्य सुविधायेंः-**

I. एग्रीजंक्शन की स्थापना हेतु चयनित लाभर्थियों को उद्यम स्थापना एवं संचालन हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण।

II. एग्रीजंक्शन स्थापना के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता तथा 7.5 प्रतिशत की दर से ऋण पर ब्याज अनुदान की व्यवस्था है। यह अनुदान बैंक की बैक इन्डेड सब्सिडी के रूप में रखा जायेगा तथा वर्ष की समाप्ति पर ऋणी के खाते में क्रेडिट कर दिया जायेगा।

III. एक वर्ष तक के लिए परिसर के किराये के 50 प्रतिशत की धनराशि जो रूपया 1000/- प्रतिमाह से अधिक न हो।

IV. कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने में सहायता तथा लाइसेन्स फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति निम्न विवरण के अनुसार की जायेगीः-

**(अ)** बीज लाइसेंस शुल्क हेतु (रूपये 1000/- प्रति केन्द्र)

**(ब-1)** उर्वरक लाइसेंस शुल्क बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु (रूपये 625/-प्रति केन्द्र)

**(ब-2)** उर्वरक लाइसेंस शुल्क सामान्य क्षेत्र हेतु (रूपये 1250/-प्रति केन्द्र)

**(स-1)** कीटनाशी लाइसेंस शुल्क शहरी क्षेत्र हेतु (रूपये 7500/-प्रति केन्द्र)

**(स-2)** कीटनाशी लाइसेंस शुल्क ग्रामीण क्षेत्र हेतु (रूपये 1500/-प्रति केन्द्र)

कीटनाशी लाइसेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक जनपद में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र का अनुपात 75:25 रखा गया है, फिर भी स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप लाइसेंस मद हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के केन्द्रों के निर्धारित लक्ष्यों में परिवर्तन किया जा सकेगा तथा तदनुसार आवंटित धनराशि का उपयोग जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा किया जायेगा।

V. एग्रीजंक्शन उद्यमियों के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अन्य योजनाओं से अभिसरण।

**4. भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यः-**

प्रदेश की सभी विकास खण्डों एवं तहसील मुख्यालयों पर स्थापित "वन स्टॉप शॉप" पर किसान गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश एवं कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ युवा कृषि स्नातक स्वरोजगार के लिए सक्षम होंगे।

वर्ष 2024-25 में प्रदेश के समस्त जनपदों में 2311 एग्रीजंक्शन केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रति एग्रीजंक्शन केन्द्र की स्थापना हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार सहायता प्रदान की जाए :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| क्र सं0 | कार्य विवरण | धनराशि ( रू0 में) |
|---|---|---|
| **1** | ऋण सीमा की धनराशि रूपये 5.00 लाख पर अग्रिम ब्याज अनुदान अधिकतम् प्रति केन्द्र रू0 60,000(बैक इन्डेड सब्सिडी के रूप में वर्तमान ब्याज दर में) परियोजना पर बैंक ऋण स्वीकृति रू0 5.00 लाख से कम होने की दशा में अग्रिम ब्याज अनुदान (बैक इन्डेड सब्सिडी) तदनुसार अनुपातिक रूप से कम होगा । | 60,000 |
| **2** | परिसर किराया 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम् रूपये 12000/- किराया (अधिकतम् रू0 1000/-प्रतिमाह की दर से केवल प्रथम वर्ष के लिए) | 12,000 |
| **3** | निवेशों पर निर्गत किए जाने वाले लाइसेन्स शुल्क की प्रतिपूर्ति<br>कृषि निवेशवार लाइसेन्स शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरणः-<br>1. बीज लाइसेन्स शुल्क हेतु (रूपयें 1000/-प्रति केन्द्र)<br>2. i) उर्वरक लाइसेन्स बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रस्तावित शुल्क (रूपयें 625/- प्रति केन्द्र)<br>ii) उर्वरक लाइसेन्स सामान्य क्षेत्रों में प्रस्तावित केन्द्रों हेतु शुल्क (रूपये 1250/-प्रति केन्द्र)<br>3. i) कीटनाशी रसायन लाइसेन्स शहरी क्षेत्रों में प्रस्तावित केन्द्रों हेतु शुल्क (रू0 7500/-प्रति केन्द्र)<br>ii) कीटनाशी रसायन लाइसेंस ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित केन्द्रों हेतु शुल्क (रूपये 1500/-प्रति केन्द्र) | 5,250 |
| **4** | 13 दिवसीय प्रशिक्षण के आयोजन, विज्ञापन, स्टेशनरी कार्यालय के अन्य विविध व्यय रू0 8200 प्रति केन्द्र (प्रशिक्षण व्यय @ रू0 400/ लाभार्थी /प्रति दिन, 13 दिन हेतु कुल रू0 5200 + अन्य व्यय रू0 3000 विभाग हेतु) | 8,200 |
| | **योग** | **85,450** |

वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2311 एग्रीजंक्शन केन्द्रों की स्थापना के भौतिक लक्ष्य हेतु कुल धनराशि रूपया 1975/- लाख व्यय किया जाना है। वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का जनपदवार फांट **(संलग्नक-**1**)** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023 -24 में प्रशिक्षण, निबन्धन प्रमाण पत्र, परिसर किराया एवं बैंक ऋण वितरण पर ब्याज अनुदान हेतु सृजित देनदारी रुपया 22.55 लाख है, जिसका जनपदवार एवं मदवार विवरण **(संलग्नक-**2**)** में दिया गया है, जिसकी पूर्ति भी वर्ष 2024-25 में की जाए।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

इस प्रकार वर्ष 2024-25 हेतु कुल कार्ययोजना का आकार निम्नवत है :-

| क्र0 सं0 | वर्ष | भौतिक लक्ष्य (संख्या में) | वित्तीय लक्ष्य (लाख रुपये में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-25 | 2311 | 1975.00 |
| 2 | 2023 -24 के सृजित दायित्व जिसका भुगतान वर्ष 2024 -25 में होना है। | - | 22. 55 |
| | कुल योग | | 1997.55 |

इस प्रकार वर्ष 2024-25 में प्रदेश में कुल 2311 एग्रीजंक्शन केन्द्रों की स्थापना का भौतिक लक्ष्य है, जिस हेतु कुल धनराशि रूपया 1975.00 लाख व्यय किया जाना है एवं सृजित देनदारी रुपया 22.55 लाख है। इस प्रकार कुल वित्तीय लक्ष्य रुपया 1997.55 लाख का व्यय किया जाना है। प्रदेश हेतु कुल निर्धारित भौतिक लक्ष्य की सीमान्तर्गत अंतर्जनपदीय लक्ष्य परिवर्तन कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश के अनुमोदन से किया जाएगा। यह योजना नाबार्ड के परामर्श एवं प्रदेश में कार्यरत सहकारी बैंक/अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की समस्त बैंकों के माध्यम से क्रियाशील की जायेगी।

**5. योजना का क्रियान्वयन:-** वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना का क्रियान्वयन शासनादेश संख्या-11/2023/127/12-5-2023-ब०-06/2017 दिनॉक 31-01-2023 **(संलग्नक-**3**)** के अनुसार किया जायेगा। योजना क्रियान्वयन हेतु प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं :-

**(i) प्रचार-प्रसार :-** योजनान्तर्गत स्वीकृत लक्ष्यों की निर्धारित समय सारणी के अनुसार व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जाए :-

**(अ)** इस हेतु मुख्यालय स्तर से योजना का संक्षिप्त विवरण देते हुए प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में इच्छुक युवा बेरोजगार कृषि स्नातकों से अपने सम्बंधित जनपद में उप कृषि निदेशक को आवेदन करने हेतु विभागीय पोर्टल के विवरण सहित विज्ञापन प्रकाशित किया जाए।

**(ब)** योजनान्तर्गत पात्रता, अनुमन्य सुविधाएं, जनपदवार लक्ष्य, चयन प्रक्रिया आदि के विवरण सहित स्वीकृत कार्ययोजना जन सामान्य हेतु विभागीय पोर्टल पर भी उपलब्ध करायी जाए।

**(स)** स्वीकृत कार्ययोजना में निर्धारित समय सारणी के अनुसार जनपदीय उप कृषि निदेशकों द्वारा भी अपने अपने जनपद में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।

**(ii) समय सारणी :-**

जनपदों के कार्ययोजना निर्गमन के पश्चात विभिन्न कार्यमदों /क्रियाकलापों को निम्नलिखित समय सारणी अनुसार सम्पादित / क्रियान्वित करते हुए 6 माह के अन्दर एग्रीजंक्शन की स्थापना करायी जाए :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| क्र.सं. | क्रियाकलाप | समय सारणी | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | योजना का प्रचार-प्रसार एवं विज्ञापन | जनपदों को प्रेषित कार्य योजना उपरान्त | 15 जुलाई 2024 तक |
| 2 | लाभार्थी चयन | अधिकतम एक माह | 14 अगस्त 2024 तक |
| 3 | लाभार्थी प्रशिक्षण (13 दिवसीय) | अधिकतम एक माह | 15 सितम्बर 2024 तक |
| 4 | कृषि निवेश लाइसेंस निर्गमन | अधिकतम 15 दिवस | 30 सितम्बर 2024 तक |
| 5 | डी0पी0आर0 तैयारी बैंक को प्रेषण एवं स्वीकृति | अधिकतम 45 दिवस | 15 नवंबर 2024 तक |
| 6 | ऋण वितरण | अधिकतम एक माह | 15 दिसंबर 2024 तक |
| 7 | एग्रीजंक्शन स्थापना एवं संचालन | अधिकतम 15 दिवस | 31 दिसंबर 2024 तक |

उक्त समय सारणी के अनुसार विभिन्न क्रियाकलापों को निर्धारित अवधि तक सम्पादित / पूर्ण कराने का दायित्व जनपदीय उप कृषि निदेशक का होगा।

**(iii) एग्रीजंक्शन हेतु पात्रता:-** उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक/स्नातक जो कृषि एवं सहबद्ध विषयों यथा - उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इसी तरह की गतिविधियां, जो किसी राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालयों से डिग्रीधारी हैं, जो आई0सी0ए0आर0/यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त हों, पात्र होंगे। इसके अतरिक्त उपरोक्त के अनुपलब्ध होने पर अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी / कृषि विषय में इंटरमीडिएट योग्य प्रार्थी पर भी विचार किया जाए।

**(iv) चयन प्रक्रिया:-** उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले कृषि में प्रशिक्षित युवाओं का चयन जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों की छंटनी (Screening) के उपरान्त किया जायेगा। इस समिति में मजिस्ट्रेट / मुख्य विकास अधिकारी, उप निदेशक (कृषि विभाग), एल0डी0एम0 एवं सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि0 सदस्य होंगे। अन्य विभागों से सम्बन्धित प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

**जिला स्तर पर निम्नलिखित समिति का गठन किया जाए :-**

1. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी - **अध्यक्ष**
2. उप कृषि निदेशक - सदस्य/सचिव
3. एल0डी0एम0 एवं सचिव - सदस्य मुख्य कार्य पालक अधिकारी
4. जिला सहकारी बैंक लिमिटेड - सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

चयन की प्रक्रिया जनपद में गठित समिति द्वारा पारदर्शी ढंग से की जाए। इस हेतु समिति द्वारा एक निर्धारित समय-सीमा में आवेदन पत्र प्राप्त करते हुए शासनादेश में आयु सीमा के मानक के दृष्टिगत चयन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही पारदर्शी प्रतीक्षारत सूची भी श्रेणीबद्ध की जाए।

जनपद में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 50 प्रतिशत अधिक लाभार्थियों का चयन किया जाए, जिससे कि अपरिहार्य परिस्थितियों में भी जनपदीय लक्ष्य की प्रतिपूर्ति शत-प्रतिशत की जा सके। चयन के उपरान्त लाभार्थी शपथ पत्र **(संलग्नक-4)** प्रस्तुत करेगें, जिसमें यह घोषणा होगी कि तीन वर्ष तक उनके द्वारा ''वन स्टाप शॉप'' का संचालन किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में कृषि विभाग की समस्त योजनाओं से उन्हें प्रतिबन्धित (ब्लैकलिस्ट) कर दिया जायेगा तथा उन पर किये गये व्यय की विभाग द्वारा वसूली होगी। चयनित लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची के लाभार्थियों को अवसर दिया जायेगा।

**(v)** वर्ष 2024 -25 की कार्ययोजना अंतर्गत जनपद स्तारीय समिति द्वारा चयन हेतु अनुसंशित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षा सूची में रखे गये समस्त अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित करते हुए नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जाए।

**(vi) आयु :-** 40 वर्ष से अनधिक, अनुसूचित जाति/ जनजाति/महिलाओं को 05 वर्ष की छूट अधिकतम। पात्र अभ्यार्थियों में, जिनकी जन्मतिथि पहले हो, उन्हें वरीयता दी जाए।

**(vii) प्रति एग्रीजंक्शन कुल न्यूनतम प्रोजेक्ट लागत:-** रू0 6.00 लाख

**(viii) ऋण सीमा:-** रू0 5.00 लाख

**(ix) मार्जिन मनी:-** रूपया 1.00 लाख (प्रोजेक्ट लागत का 17.00 प्रतिशत) ऋणी आवेदक द्वारा अभिदान किया जायेगा। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी कृषि निवेशो की आपूर्ति एवं अन्य क्रिया कलापों के लिए अनुमन्य अनुदान प्राप्त करने के लिए मान्य होंगे । योजना का उद्देश्य क्रेडिट निवेश दर को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश में कृषि पूंजी सृजित करना ताकि **"वन स्टाप शॉप"** के स्थापना से कृषको को लाभान्वित किया जा सके।

**(x) ऋण वितरण:-** प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ।

**(xi) लाक इन पीरियड:-** 36 माह (7.5 % अग्रिम ब्याज अनुदान की धनराशि 03 वर्षो के प्रस्तावित कार्य हेतु बैक इन्डेड सब्सिडी के रूप में अधिकतम रूपये 60,000/- की सीमा तक दी जाए, परन्तु लाभार्थी द्वारा ऋण खाता 03 वर्ष से पूर्व बन्द नहीं किया जायेगा)। ऋण स्वीकृति रूपये 5.00 लाख से कम होने की दशा में अग्रिम ब्याज अनुदान (बैक इन्डेड सब्सिडी) तदनुसार अनुपातिक रूप से कम होगा।

**(xii) परियोजना अवधि:-** परियोजना पूर्ण होने की अवधि तक बैंक द्वारा ऋण की प्रथम क़िस्त अवमुक्त/वितरण होने के पश्चात 6 माह होगी, जिसे ऋण स्वीकर्ता बैंक द्वारा समुचित कारण इंगित किये जाने की दशा में अधिकतम 3 माह तक और बढ़ाया जा सकेगा।

**(xiii) डाक्यूमेन्टेशन:-** बैंक में लागू डायरेक्ट एग्री सिग्मेन्ट अग्रिम के अनुसार।

**(xiv) पुनर्भुगतान:-** 03 माह के मोरैटोरियम अवधि को सम्मिलित करते हुए 36 से 60 माह में किया जाए। पुनर्भुगतान शेड्यूल, ऋण की सम्पूर्ण धनराशि के सापेक्ष इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा कि सब्सिडी की धनराशि का समायोजन शुद्ध ऋण की धनराशि की भरपाई (liquidation) के पश्चात हो।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**(xv)** यदि परियोजना निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं की जाती है तो अनुदान (subsidy) की धनराशि अनुमन्य नहीं होगी और यदि कोई अनुदान की धनराशि बैंक को दी गयी है तो वह सम्बंधित उप कृषि निदेशक को बैंक द्वारा वापस किये जाने की बाध्यता होगी तथा वापस होने वाली अनुदान की धनराशि उप कृषि निदेशक द्वारा राजकोष में जमा की जाएगी।

**(xvi)** सम्बंधित बैंक परियोजना अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों का बीमा भी सुनिश्चित कराएँगे।

**(xvii)** ऋण प्रदान करने वाले बैंक द्वारा निर्धारित अवधि में या समय-समय पर औचक निरीक्षण कर बैक एन्डेड सब्सिडी हेतु उद्यमी की पात्रता की पुष्टि करनी होगी एवं विभाग को इसकी रिर्पोट भी प्रेषित की जाएगी। बैंक द्वारा तीन साल के लाक-इन अवधि के अंत में एक Consolidated रिर्पोट तैयार कर विभाग को भेजी जाएगी।

**(xviii)** बैक एन्डेड सब्सिडी के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि को बैंक द्वारा "Subsidy Reserve fund Account" में रखा जाए तथा इस पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। उद्यमी का लोन खाता अलग संचालित किया जाएगा।

**6. प्रशिक्षण एण्ड हैण्ड होल्डिंग:-** चयनित आवेदकों को योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि से प्रशिक्षण, राज्य कृषि प्रबन्ध विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (समेती, रहमानखेड़ा, लखनऊ/आर-सेटीज) द्वारा कम से कम 13 दिन का ग्रामीण व्यवसाय विकास योजना (आर0ई0डी0पी0) का प्रशिक्षण प्रदान कराया जाए। चयनित लाभार्थियों को दिये जाने वाले 13 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु विषय वस्तु **(संलग्नक-**5**)** पर उपलब्ध है।

**7. योजना का वित्त पोषण:-** योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाएगी।

**8. प्रशिक्षित उद्यमियों के कर्तव्य एवं दायित्व:-** एग्रीजंक्शन उद्यमी अपने क्षेत्र के किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश आपूर्ति के साथ-साथ नवीनतम कृषि तकनीकी और विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार करेंगे। विभाग द्वारा संचालित मेला, गोष्ठी एवं अन्य कार्यक्रमो में प्रतिभाग करेंगे और कृषि विभाग के प्रसार कार्यकर्ताओं को उनके कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे। समय-समय पर कृषि विभाग के सहयोग से अपने ज्ञान को समुन्नत करते हुए स्वयं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाये रखेंगे।

**9. योजना का अभिसरण:-** एग्रीजंक्शन केन्द्रों को कृषि के विविध आयामों से युक्त, सुदृढ़ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस योजना का अभिसरण अन्य योजनाओं के अनुमन्य प्राविधानो और प्रचलित दिशा-निर्देशों में अनुमन्यता के अधीन किये जाने हेतु प्रयास किया जायेगा ताकि इस योजना के लाभार्थियों के लिए यह उद्यम आर्थिक रूप से सफल सिद्ध हो सके। उदाहरण स्वरूप कृषि विभाग की कतिपय योजनाओं से इनका अभिसरण किया जा सकता है। जैसे-

क- एग्रीजंक्शन केन्द्रों को कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के अर्न्तगत कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापना हेतु चयन में प्राथमिकता दी जाए।

ख- एग्रीजंक्शन केन्द्र स्थापना उपरान्त यदि लाभार्थी द्वारा एग्रीजंक्शन केन्द्र को समिति के रूप में पंजीकृत करा लिया जाता है अथवा उनके द्वारा समूह गठित कर कृषि सम्बन्धी क्रिया-कलाप संचालित किये जाते हैं तो उन्हें फार्म मशीनरी बैंक अर्न्तगत लाभान्वित किया जाए।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ग- एन0एफ0एस0एम0 योजनान्तर्गत फार्म स्टोरेज रूम/स्ट्रक्चर (50मै0टन क्षमता) हेतु अनुदान सुविधा (लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू0-3.34 लाख जो भी कम हो) देकर स्थानीय स्तर पर भण्डारण क्षमता का विकास।

घ- एन0एफ0एस0एम0 योजनान्तर्गत छोटी प्रसंस्करण इकाईयों (मिनी राइस मिल, दाल मिल, ऑयल एक्सपेलर आदि) पर देय अनुदान सुविधा उपलब्ध कराते हुए स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण सुविधा के माध्यम से मूल्य संवर्द्धन कर कृषकों की आय में वृद्धि।

ड़- मॉडल के रूप में विकसित एग्रीजंक्शन केन्द्रों को कृषकों के भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु उपयोग में लाया जाए तथा ऐसे एग्रीजंक्शन के लाभार्थियों को रिर्सोस परसन/अग्रणी कृषक/प्रचार-प्रसार कार्यकर्ता के रूप में उपयोग किया जाए।

**10. प्रगति प्रेषण:-** प्रत्येक जनपद का मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण सम्बन्धित उप कृषि निदेशक द्वारा माह की 5वीं तारीख तक निर्धारित रूप पत्र-अ एवं ब **(संलग्नक-6)** पर वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रसार अनुभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

**11. योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण:-** योजना के क्रियान्वयन का पूर्ण उत्तरदायित्व जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक का होगा तथा मण्डल स्तर पर संयुक्त कृषि निदेशक इसके पर्यवेक्षण हेतु पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी क्षेत्रीय स्थल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे। योजना के सफल संचालन हेतु राज्य स्तर पर अपर कृषि निदेशक (प्रसार) योजना के नियंत्रण अधिकारी होंगे।

**12.** योजनान्तर्गत विज्ञापन कृषि निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ स्तर से निकाला जाएगा, जिससे एकरूपता रहे तथा प्रत्येक जनपद में उक्त समयसीमा के अनुसार कार्य किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
रवीन्द्र प्रताप सिंह
उप सचिव।

**<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>**

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
8- अपर कृषि निदेशक (प्रसार) , कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, लखनऊ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक जनपदीय/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

10- सहायक निदेशक(कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, लखनऊ को पोर्टल पर व्यवस्था करने हेतु।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवीन्द्र प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1

## "प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना" हेतु जनपदवार प्रस्तावित भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (वर्ष 2024–25)

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | जनपदवार कुल विकास खण्डों की संख्या | जनपदवार चयनित विकास खण्डों में उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना हेतु वर्ष 2024–25 के भौतिक लक्ष्य | जनपदवार उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना हेतु भौतिक (इकाई)/वित्तीय लक्ष्य (धनराशि लाख रू0 में) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ब्याज पर अनुदान प्रति केन्द्र (अधिम ब्याज अनुदान की धनराशि (रू0 60000/– तीन वर्षों के प्रस्तावित कार्य हेतु) | प्रतिस्थापना केन्द्र के किराये पर अनुदान प्रति उद्यमी केन्द्र (रू0 12000/– केवल प्रथम वर्ष हेतु) | निवेशों पर निर्गत किए जाने वाले लाइसेन्स शुल्क की प्रतिपूर्ति (बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी रसायन) | | | | | | | | अनुदान (मानक मद 27 सब्सिडी) हेतु कुल धनराशि | विविध व्यय (मानक मद 42–अन्य व्यय) हेतु कुल धनराशि | महायोग |
| | | | | | | बीज (रू0 1000/– प्रति केन्द्र) | उर्वरक (रू0 1250/– प्रति केन्द्र एवं बुन्देलखण्ड हेतु रू0 625/– प्रति केन्द्र) | | कीटनाशी (शहरी क्षेत्र हेतु रू0 7500/– एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 1500/– प्रति केन्द्र) | | | | योग | | | |
| | | | | | | | सामान्य क्षेत्र हेतु (रू0 1250/– प्रति केन्द्र) | बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु (रू0 625/– प्रति केन्द्र | शहरी क्षेत्र के केन्द्रों की सं0 | ग्रामीण क्षेत्र के केन्द्रों की सं0 | शहरी क्षेत्र हेतु (रू0 7500/– प्रति केन्द्र) | ग्रामीण क्षेत्र हेतु (रूपये 1500/– प्रति केन्द्र) | | | | |
| 1 | उ0कृ0नि0, आगरा | 15 | 42 | 25.20 | 5.04 | 0.42 | 0.53 | 0.00 | 12.00 | 30.00 | 0.90 | 0.45 | 2.30 | 32.54 | 3.44 | 35.98 |
| 2 | उ0कृ0नि0, फिरोजाबाद | 9 | 26 | 15.60 | 3.12 | 0.26 | 0.33 | 0.00 | 6.00 | 20.00 | 0.45 | 0.30 | 1.34 | 20.06 | 2.13 | 22.19 |
| 3 | उ0कृ0नि0, मैनपुरी | 9 | 26 | 15.60 | 3.12 | 0.26 | 0.33 | 0.00 | 6.00 | 20.00 | 0.45 | 0.30 | 1.34 | 20.06 | 2.13 | 22.19 |
| 4 | उ0कृ0नि0, मथुरा | 10 | 28 | 16.80 | 3.36 | 0.28 | 0.35 | 0.00 | 8.00 | 20.00 | 0.60 | 0.30 | 1.53 | 21.69 | 2.30 | 23.99 |
| | ***आगरा मण्डल का योग*** | **43** | **122** | **73.20** | **14.64** | **1.22** | **1.53** | **0.00** | **32.00** | **90.00** | **2.40** | **1.35** | **6.50** | **94.34** | **10.00** | **104.34** |
| 5 | उ0कृ0नि0, अलीगढ | 12 | 32 | 19.20 | 3.84 | 0.32 | 0.40 | 0.00 | 8.00 | 24.00 | 0.60 | 0.36 | 1.68 | 24.72 | 2.62 | 27.34 |
| 6 | उ0कृ0नि0, एटा | 8 | 22 | 13.20 | 2.64 | 0.22 | 0.28 | 0.00 | 7.00 | 15.00 | 0.53 | 0.23 | 1.25 | 17.09 | 1.80 | 18.89 |
| 7 | उ0कृ0नि0, हाथरस | 7 | 18 | 10.80 | 2.16 | 0.18 | 0.23 | 0.00 | 4.00 | 14.00 | 0.30 | 0.21 | 0.92 | 13.88 | 1.48 | 15.35 |
| 8 | उ0कृ0नि0, कासगंज | 7 | 18 | 10.80 | 2.16 | 0.18 | 0.23 | 0.00 | 4.00 | 14.00 | 0.30 | 0.21 | 0.92 | 13.88 | 1.48 | 15.35 |
| | ***अलीगढ़ मण्डल का योग*** | **34** | **90** | **54.00** | **10.80** | **0.90** | **1.13** | **0.00** | **23.00** | **67.00** | **1.73** | **1.01** | **4.76** | **69.56** | **7.38** | **76.94** |
| 9 | उ0कृ0नि0 प्रयागराज | 23 | 64 | 38.40 | 7.68 | 0.64 | 0.80 | 0.00 | 21.00 | 43.00 | 1.58 | 0.65 | 3.66 | 49.74 | 5.25 | 54.99 |
| 10 | उ0कृ0नि0, फतेहपुर | 13 | 36 | 21.60 | 4.32 | 0.36 | 0.45 | 0.00 | 9.00 | 27.00 | 0.68 | 0.41 | 1.89 | 27.81 | 2.95 | 30.76 |
| 11 | उ0कृ0नि0, प्रतापगढ़ | 17 | 48 | 28.80 | 5.76 | 0.48 | 0.60 | 0.00 | 13.00 | 35.00 | 0.98 | 0.53 | 2.58 | 37.14 | 3.94 | 41.08 |
| 12 | उ0कृ0नि0, कौशाम्बी | 8 | 22 | 13.20 | 2.64 | 0.22 | 0.28 | 0.00 | 6.00 | 16.00 | 0.45 | 0.24 | 1.19 | 17.03 | 1.80 | 18.83 |
| | ***प्रयागराज मण्डल का योग*** | **61** | **170** | **102.00** | **20.40** | **1.70** | **2.13** | **0.00** | **49.00** | **121.00** | **3.68** | **1.82** | **9.32** | **131.72** | **13.94** | **145.66** |
| 13 | उ0कृ0नि0, आजमगढ़ | 22 | 62 | 37.20 | 7.44 | 0.62 | 0.78 | 0.00 | 14.00 | 48.00 | 1.05 | 0.72 | 3.17 | 47.81 | 5.08 | 52.89 |
| 14 | उ0कृ0नि0, मऊ | 9 | 26 | 15.60 | 3.12 | 0.26 | 0.33 | 0.00 | 6.00 | 20.00 | 0.45 | 0.30 | 1.34 | 20.06 | 2.13 | 22.19 |
| 15 | उ0कृ0नि0, बलिया | 17 | 46 | 27.60 | 5.52 | 0.46 | 0.58 | 0.00 | 14.00 | 32.00 | 1.05 | 0.48 | 2.57 | 35.69 | 3.77 | 39.46 |
| | ***आजमगढ़ मण्डल का योग*** | **48** | **134** | **80.40** | **16.08** | **1.34** | **1.68** | **0.00** | **34.00** | **100.00** | **2.55** | **1.50** | **7.07** | **103.55** | **10.99** | **114.53** |
| 16 | उ0कृ0नि0, बदायूँ | 15 | 42 | 25.20 | 5.04 | 0.42 | 0.53 | 0.00 | 11.00 | 31.00 | 0.83 | 0.47 | 2.24 | 32.48 | 3.44 | 35.92 |
| 17 | उ0कृ0नि0, बरेली | 15 | 42 | 25.20 | 5.04 | 0.42 | 0.53 | 0.00 | 11.00 | 31.00 | 0.83 | 0.47 | 2.24 | 32.48 | 3.44 | 35.92 |
| 18 | उ0कृ0नि0, पीलीभीत | 7 | 20 | 12.00 | 2.40 | 0.20 | 0.25 | 0.00 | 5.00 | 15.00 | 0.38 | 0.23 | 1.05 | 15.45 | 1.64 | 17.09 |
| 19 | उ0कृ0नि0, शाहजहाँपुर | 15 | 40 | 24.00 | 4.80 | 0.40 | 0.50 | 0.00 | 10.00 | 30.00 | 0.75 | 0.45 | 2.10 | 30.90 | 3.28 | 34.18 |
| | ***बरेली मण्डल का योग*** | **52** | **144** | **86.40** | **17.28** | **1.44** | **1.80** | **0.00** | **37.00** | **107.00** | **2.78** | **1.61** | **7.62** | **111.30** | **11.81** | **123.11** |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जनपदवार उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना हेतु मौद्रिक (इकाई)/वित्तीय लक्ष्य (धनराशि लाख रू0 में)

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | जनपदवार कुल विकास खण्डों की संख्या | जनपदवार चयनित विकास खण्डों में उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना हेतु वर्ष 2024-25 के भौतिक लक्ष्य | आय पर आधारित प्रति केन्द्र (अधिकतम ऋण अनुदान की धनराशि (रू0 60000/- तीन वर्षों के प्रस्तावित लक्ष्य हेतु) | प्रतिस्थापना निवेशों पर निर्गत किए जाने वाले लाइसेन्स शुल्क की प्रतिपूर्ति (बीज, उत्पादक एवं कीटनाशी रसायन) | | | | | | | | | | | | | | महायोग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | विकास खण्ड स्तर पर उद्यमिता केन्द्र के विरुद्ध ऋण अनुदान प्रति उद्यमी केन्द्र (रू0 120000/- केवल प्रथम वर्ष हेतु) | बीज (रू0 1000/- प्रति केन्द्र) | उत्पादक (रू0 1250/- प्रति केन्द्र एवं पुनर्स्थापन हेतु रू0 625/- प्रति केन्द्र) | | कीटनाशी (शहरी क्षेत्र हेतु रू0 7500/- एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 1500/- प्रति केन्द्र) | | | | योग | अनुदान (चालक मद 27 मशिनरी) हेतु कुल धनराशि | शेषिय व्यय (चालक मद 42-अन्य व्यय) हेतु कुल धनराशि | |
| | | | | | | | सामान्य क्षेत्र हेतु (रू0 1250/- प्रति केन्द्र) | पुनर्स्थापन क्षेत्र हेतु (रू0 625/- प्रति केन्द्र) | शहरी क्षेत्र के केन्द्रों की संख्या | ग्रामीण क्षेत्र के केन्द्रों की संख्या | शहरी क्षेत्र हेतु (रू0 7500/- प्रति केन्द्र) | ग्रामीण क्षेत्र हेतु (रू0 1500/- प्रति केन्द्र) | | | | |
| 20 | उ0प्र0ग्रा0वि0, बस्ती | 14 | 30 | 18.00 | 3.60 | 0.30 | 0.38 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 0.75 | 0.30 | 1.73 | 23.33 | 2.46 | 25.79 | |
| 21 | उ0प्र0ग्रा0वि0, सिद्धार्थ नगर | 9 | 20 | 12.00 | 2.40 | 0.20 | 0.25 | 0.00 | 6.00 | 14.00 | 0.45 | 0.21 | 1.11 | 15.51 | 1.64 | 17.15 | |
| 22 | उ0प्र0ग्रा0वि0, सिद्धार्थ नगर | 14 | 30 | 18.00 | 3.60 | 0.30 | 0.38 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 0.75 | 0.30 | 1.73 | 23.33 | 2.46 | 25.79 | |
| | ***बस्ती मण्डल का योग*** | **37** | **80** | **48.00** | **9.60** | **0.80** | **1.00** | **0.00** | **26.00** | **54.00** | **1.95** | **0.81** | **4.56** | **62.16** | **6.56** | **68.72** | |
| 23 | उ0प्र0ग्रा0वि0, बाँदा | 8 | 24 | 14.40 | 2.88 | 0.24 | 0.00 | 0.15 | 8.00 | 16.00 | 0.60 | 0.24 | 1.23 | 18.51 | 1.97 | 20.48 | |
| 24 | उ0प्र0ग्रा0वि0, चित्रकूटधाम | 5 | 16 | 9.60 | 1.92 | 0.16 | 0.00 | 0.10 | 6.00 | 10.00 | 0.45 | 0.15 | 0.86 | 12.38 | 1.31 | 13.69 | |
| 25 | उ0प्र0ग्रा0वि0, हमीरपुर | 7 | 22 | 13.20 | 2.64 | 0.22 | 0.00 | 0.14 | 6.00 | 16.00 | 0.45 | 0.24 | 1.05 | 16.89 | 1.80 | 18.69 | |
| 26 | उ0प्र0ग्रा0वि0, महोबा | 4 | 12 | 7.20 | 1.44 | 0.12 | 0.00 | 0.08 | 4.00 | 8.00 | 0.30 | 0.12 | 0.62 | 9.26 | 0.98 | 10.24 | |
| | ***बाँदा मण्डल का योग*** | **24** | **74** | **44.40** | **8.88** | **0.74** | **0.00** | **0.46** | **24.00** | **50.00** | **1.80** | **0.75** | **3.75** | **57.03** | **6.07** | **63.10** | |
| 27 | उ0प्र0ग्रा0वि0, झाँसी | 14 | 42 | 25.20 | 5.04 | 0.42 | 0.53 | 0.00 | 12.00 | 30.00 | 0.90 | 0.45 | 2.30 | 32.54 | 3.44 | 35.98 | |
| 28 | उ0प्र0ग्रा0वि0, ललितपुर | 9 | 26 | 15.60 | 3.12 | 0.26 | 0.33 | 0.00 | 8.00 | 18.00 | 0.60 | 0.27 | 1.46 | 20.18 | 2.13 | 22.31 | |
| 29 | उ0प्र0ग्रा0वि0, गोण्डा | 16 | 48 | 28.80 | 5.76 | 0.48 | 0.60 | 0.00 | 13.00 | 35.00 | 0.98 | 0.53 | 2.58 | 37.14 | 3.94 | 41.08 | |
| 30 | उ0प्र0ग्रा0वि0, श्रावस्ती | 5 | 16 | 9.60 | 1.92 | 0.16 | 0.20 | 0.00 | 6.00 | 10.00 | 0.45 | 0.15 | 0.96 | 12.48 | 1.31 | 13.79 | |
| | ***देवीपाटन मण्डल का योग*** | **44** | **132** | **79.20** | **15.84** | **1.32** | **1.65** | **0.00** | **39.00** | **93.00** | **2.93** | **1.40** | **7.29** | **102.33** | **10.82** | **113.15** | |
| 31 | उ0प्र0ग्रा0वि0, अम्बेडकर नगर | 9 | 26 | 15.60 | 3.12 | 0.26 | 0.33 | 0.00 | 6.00 | 20.00 | 0.45 | 0.30 | 1.34 | 20.06 | 2.13 | 22.19 | |
| 32 | उ0प्र0ग्रा0वि0, बाराबंकी | 15 | 42 | 25.20 | 5.04 | 0.42 | 0.53 | 0.00 | 12.00 | 30.00 | 0.90 | 0.45 | 2.30 | 32.54 | 3.44 | 35.98 | |
| 33 | उ0प्र0ग्रा0वि0, अयोध्या | 11 | 30 | 18.00 | 3.60 | 0.30 | 0.38 | 0.00 | 6.00 | 24.00 | 0.45 | 0.36 | 1.49 | 23.09 | 2.46 | 25.55 | |
| 34 | उ0प्र0ग्रा0वि0, अमेठी | 13 | 36 | 21.60 | 4.32 | 0.36 | 0.45 | 0.00 | 8.00 | 28.00 | 0.60 | 0.42 | 1.83 | 27.75 | 2.95 | 30.70 | |
| 35 | उ0प्र0ग्रा0वि0, सुल्तानपुर | 14 | 40 | 24.00 | 4.80 | 0.40 | 0.50 | 0.00 | 8.00 | 32.00 | 0.60 | 0.48 | 1.98 | 30.78 | 3.28 | 34.06 | |
| | ***अयोध्या मण्डल का योग*** | **62** | **174** | **104.40** | **20.88** | **1.74** | **2.18** | **0.00** | **40.00** | **134.00** | **3.00** | **2.01** | **8.93** | **134.21** | **14.27** | **148.47** | |
| 36 | उ0प्र0ग्रा0वि0, देवरिया | 16 | 44 | 26.40 | 5.28 | 0.44 | 0.55 | 0.00 | 9.00 | 35.00 | 0.68 | 0.53 | 2.19 | 33.87 | 3.61 | 37.48 | |
| 37 | उ0प्र0ग्रा0वि0, गोरखपुर | 20 | 56 | 33.60 | 6.72 | 0.56 | 0.70 | 0.00 | 14.00 | 42.00 | 1.05 | 0.63 | 2.94 | 43.26 | 4.59 | 47.85 | |
| 38 | उ0प्र0ग्रा0वि0, कुशीनगर | 14 | 38 | 22.80 | 4.56 | 0.38 | 0.48 | 0.00 | 8.00 | 30.00 | 0.60 | 0.45 | 1.91 | 29.27 | 3.12 | 32.38 | |
| 39 | उ0प्र0ग्रा0वि0, महराजगंज | 12 | 34 | 20.40 | 4.08 | 0.34 | 0.43 | 0.00 | 6.00 | 28.00 | 0.45 | 0.42 | 1.64 | 26.12 | 2.79 | 28.90 | |
| | ***गोरखपुर मण्डल का योग*** | **62** | **172** | **103.20** | **20.64** | **1.72** | **2.15** | **0.00** | **37.00** | **135.00** | **2.78** | **2.03** | **8.67** | **132.51** | **14.10** | **146.61** | |
| 40 | उ0प्र0ग्रा0वि0, जालौन | 9 | 28 | 16.80 | 3.36 | 0.28 | 0.00 | 0.18 | 7.00 | 21.00 | 0.53 | 0.32 | 1.30 | 21.46 | 2.30 | 23.75 | |
| 41 | उ0प्र0ग्रा0वि0, झाँसी | 8 | 22 | 13.20 | 2.64 | 0.22 | 0.00 | 0.14 | 4.00 | 18.00 | 0.30 | 0.27 | 0.93 | 16.77 | 1.80 | 18.57 | |
| 42 | उ0प्र0ग्रा0वि0, ललितपुर | 6 | 18 | 10.80 | 2.16 | 0.18 | 0.00 | 0.11 | 3.00 | 15.00 | 0.23 | 0.23 | 0.74 | 13.70 | 1.48 | 15.18 | |
| | ***झाँसी मण्डल का योग*** | **23** | **68** | **40.80** | **8.16** | **0.68** | **0.00** | **0.43** | **14.00** | **54.00** | **1.05** | **0.81** | **2.97** | **51.93** | **5.58** | **57.50** | |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | जनपदवार कुल विकास खण्डों की संख्या | जनपदवार प्रस्तावित नवीकरण/ विकास खण्डों में उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना हेतु वर्ष 2024–25 के भौतिक लक्ष्य | जनपदवार उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना हेतु भौतिक (इकाई)/वित्तीय लक्ष्य (धनराशि लाख रू0 में) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | माडल यूनिट अनुदान प्रति केन्द्र (अधिकतम आय अनुदान की धनराशि (रू0 60000/– तीन वर्षों के पश्चात प्रस्तावित कार्य हेतु) | प्रतिस्थापना केन्द्र के क्रियाशील अनुदान प्रति उद्यमी केन्द्र (रू0 12000/– केवल प्रथम वर्ष हेतु) | निर्देशों पर निर्गत किए जाने वाले लाइसेन्स शुल्क की प्रतिपूर्ति (मीज, उपकरण एवं कीटनाशी रसायन) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | बीज (रू0 1000/– प्रति केन्द्र) | उर्वरक (रू0 1250/– प्रति केन्द्र एवं फुटकरलाइसेन्स हेतु रू0 625/– प्रति केन्द्र) | | कीटनाशी (सहरी क्षेत्र हेतु रू0 7500/– प्रति एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 1500/– प्रति केन्द्र) | | | | योग | अनुदान (मात्रक मद 27 मशिनरी) हेतु कुल धनराशि | शिक्षा व्यय (मात्रक मद 42–अन्य व्यय) हेतु कुल धनराशि | महायोग |
| | | | | | | | सामान्य क्षेत्र हेतु (रू0 1250/– प्रति केन्द्र) | फुटकरलाइसेन्स क्षेत्र हेतु (रू0 625/– प्रति केन्द्र) | सहरी क्षेत्र के केन्द्रों की संख्या | ग्रामीण क्षेत्र के केन्द्रों की संख्या | सहरी क्षेत्र हेतु (रू0 7500/– प्रति केन्द्र) | ग्रामीण क्षेत्र हेतु (रू0 1500/– प्रति केन्द्र) | | | | | | |
| 43 | उ0प्र0कृषि0, अंबेदकर | 7 | 20 | 12.00 | 2.40 | 0.20 | 0.25 | 0.00 | 5.00 | 15.00 | 0.38 | 0.23 | 1.05 | 15.45 | 1.64 | 17.09 | | | | | |
| 44 | उ0प्र0कृषि0, इटावा | 8 | 22 | 13.20 | 2.64 | 0.22 | 0.28 | 0.00 | 7.00 | 15.00 | 0.53 | 0.23 | 1.25 | 17.09 | 1.80 | 18.89 | | | | | |
| 45 | उ0प्र0कृषि0, फर्रुखाबाद | 7 | 20 | 12.00 | 2.40 | 0.20 | 0.25 | 0.00 | 4.00 | 16.00 | 0.30 | 0.24 | 0.99 | 15.39 | 1.64 | 17.03 | | | | | |
| 46 | उ0प्र0कृषि0, कन्नौज | 8 | 22 | 13.20 | 2.64 | 0.22 | 0.28 | 0.00 | 6.00 | 16.60 | 0.45 | 0.24 | 1.19 | 17.03 | 1.80 | 18.83 | | | | | |
| 47 | उ0प्र0कृषि0, कानपुर देहात | 10 | 28 | 16.80 | 3.36 | 0.28 | 0.35 | 0.00 | 8.00 | 20.00 | 0.60 | 0.30 | 1.53 | 21.69 | 2.30 | 23.99 | | | | | |
| 48 | उ0प्र0कृषि0, कानपुर नगर | 10 | 28 | 16.80 | 3.36 | 0.28 | 0.35 | 0.00 | 8.00 | 20.00 | 0.60 | 0.30 | 1.53 | 21.69 | 2.30 | 23.99 | | | | | |
| | ***कानपुर मण्डल का योग*** | **50** | **140** | **84.00** | **16.80** | **1.40** | **1.75** | **0.00** | **38.00** | **102.00** | **2.85** | **1.53** | **7.53** | **108.33** | **11.48** | **119.81** | | | | | |
| 49 | उ0प्र0कृषि0, हरदोई | 19 | 52 | 31.20 | 6.24 | 0.52 | 0.65 | 0.00 | 10.00 | 42.00 | 0.75 | 0.63 | 2.55 | 39.99 | 4.26 | 44.25 | | | | | |
| 50 | उ0प्र0कृषि0, लखीमपुर खीरी | 15 | 42 | 25.20 | 5.04 | 0.42 | 0.53 | 0.00 | 10.00 | 32.00 | 0.75 | 0.48 | 2.18 | 32.42 | 3.44 | 35.86 | | | | | |
| 51 | उ0प्र0कृषि0, लखनऊ | 8 | 22 | 13.20 | 2.64 | 0.22 | 0.28 | 0.00 | 4.00 | 18.00 | 0.30 | 0.27 | 1.07 | 16.91 | 1.80 | 18.71 | | | | | |
| 52 | उ0प्र0कृषि0, रायबरेली | 18 | 50 | 30.00 | 6.00 | 0.50 | 0.63 | 0.00 | 10.00 | 40.00 | 0.75 | 0.60 | 2.48 | 38.48 | 4.10 | 42.58 | | | | | |
| 53 | उ0प्र0कृषि0, सीतापुर | 19 | 56 | 33.60 | 6.72 | 0.56 | 0.70 | 0.00 | 11.00 | 45.00 | 0.83 | 0.68 | 2.76 | 43.08 | 4.59 | 47.67 | | | | | |
| 54 | उ0प्र0कृषि0, उन्नाव | 16 | 46 | 27.60 | 5.52 | 0.46 | 0.58 | 0.00 | 11.00 | 35.00 | 0.83 | 0.53 | 2.39 | 35.51 | 3.77 | 39.28 | | | | | |
| | ***लखनऊ मण्डल का योग*** | **95** | **268** | **160.80** | **32.16** | **2.68** | **3.35** | **0.00** | **56.00** | **212.00** | **4.20** | **3.18** | **13.41** | **206.37** | **21.98** | **228.35** | | | | | |
| 55 | उ0प्र0कृषि0, बागपत | 6 | 16 | 9.60 | 1.92 | 0.16 | 0.20 | 0.00 | 4.00 | 12.00 | 0.30 | 0.18 | 0.84 | 12.36 | 1.31 | 13.67 | | | | | |
| 56 | उ0प्र0कृषि0, बुलन्दशहर | 16 | 44 | 26.40 | 5.28 | 0.44 | 0.55 | 0.00 | 8.00 | 36.00 | 0.60 | 0.54 | 2.13 | 33.81 | 3.61 | 37.42 | | | | | |
| 57 | उ0प्र0कृषि0, गौतमबुद्ध नगर | 3 | 8 | 4.80 | 0.96 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 0.15 | 0.09 | 0.42 | 6.18 | 0.66 | 6.84 | | | | | |
| 58 | उ0प्र0कृषि0, गाजियाबाद | 4 | 8 | 4.80 | 0.96 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 0.15 | 0.09 | 0.42 | 6.18 | 0.66 | 6.84 | | | | | |
| 59 | उ0प्र0कृषि0, हापुड़ | 4 | 10 | 6.00 | 1.20 | 0.10 | 0.13 | 0.00 | 2.00 | 8.00 | 0.15 | 0.12 | 0.50 | 7.70 | 0.82 | 8.52 | | | | | |
| 60 | उ0प्र0कृषि0, मेरठ | 12 | 34 | 20.40 | 4.08 | 0.34 | 0.43 | 0.00 | 8.00 | 26.00 | 0.60 | 0.39 | 1.76 | 26.24 | 2.79 | 29.02 | | | | | |
| | ***मेरठ मण्डल का योग*** | **45** | **120** | **72.00** | **14.40** | **1.20** | **1.50** | **0.00** | **26.00** | **94.00** | **1.95** | **1.41** | **6.06** | **92.46** | **9.84** | **102.30** | | | | | |
| 61 | उ0प्र0कृषि0, मिर्जापुर | 12 | 34 | 20.40 | 4.08 | 0.34 | 0.43 | 0.00 | 9.00 | 25.00 | 0.68 | 0.38 | 1.82 | 26.30 | 2.79 | 29.08 | | | | | |
| 62 | उ0प्र0कृषि0, संतरविदास नगर | 6 | 18 | 10.80 | 2.16 | 0.18 | 0.23 | 0.00 | 4.00 | 14.00 | 0.30 | 0.21 | 0.92 | 13.88 | 1.48 | 15.35 | | | | | |
| 63 | उ0प्र0कृषि0, सोनभद्र | 10 | 28 | 16.80 | 3.36 | 0.28 | 0.35 | 0.00 | 7.00 | 21.00 | 0.53 | 0.32 | 1.47 | 21.63 | 2.30 | 23.93 | | | | | |
| | ***मिर्जापुर मण्डल का योग*** | **28** | **80** | **48.00** | **9.60** | **0.80** | **1.00** | **0.00** | **20.00** | **60.00** | **1.50** | **0.90** | **4.20** | **61.80** | **6.56** | **68.36** | | | | | |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | जनपदवार कुल विकास खण्डों की संख्या | जनपदवार वर्तमान विकास खण्डों में उर्वरिता केन्द्रों की स्थापना हेतु वर्ष 2024–25 के भौतिक लक्ष्य | जनपदवार उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना हेतु भौतिक (इकाई)/वित्तीय लक्ष्य (धनराशि लाख रू0 में) | | | | | | | | | | | | | | | | | | महायोग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | आय पर आधारित अनुदान प्रति केन्द्र (अधिकतम व्यय अनुमान धनराशि (रू0 60000/– तीन वर्षों में प्रस्तावित अर्थ हेतु) | प्रशिक्षणार्थ केन्द्र के किराये पर अनुदान प्रति केन्द्र (रू0 12000/– केवल प्रथम वर्ष हेतु) | निवेशों पर निर्धारित किए जाने वाले लाइसेन्स शुल्क की प्रतिपूर्ति (बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी रसायन) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | बीज (रू0 1000/– प्रति केन्द्र) | उर्वरक (रू0 1250/– प्रति केन्द्र एवं बुन्देलखण्ड हेतु रू0 625/– प्रति केन्द्र) | | कीटनाशी (खाली क्षेत्र हेतु रू0 7500/– एवं पानीय क्षेत्र हेतु 1500/– प्रति केन्द्र) | | | | योग | अनुदान (सामान्य मद 27 सब्सिडी) हेतु कुल धनराशि | विविध व्यय (सामान्य मद 42–अन्य व्यय) हेतु कुल धनराशि | महायोग |
| | | | | | | | सामान्य क्षेत्र हेतु (रू0 1250/– प्रति केन्द्र) | बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु (रू0 625/– प्रति केन्द्र) | शहरी क्षेत्र के केन्द्रों की संख्या | पानीय क्षेत्र हेतु (रू0 7500/– प्रति केन्द्र) | शहरी क्षेत्र हेतु (रू0 1500/– प्रति केन्द्र) | पानीय क्षेत्र हेतु (रू0 1500/– प्रति केन्द्र) | | | | | | |
| 64 | उ0कृ0नि0, बिजनौर | 11 | 34 | 20.40 | 4.08 | 0.34 | 0.43 | 0.00 | 14.00 | 20.00 | 1.05 | 0.30 | 2.12 | 26.60 | 2.79 | 29.38 |
| 65 | उ0कृ0नि0, ज्योतिबाफुले नगर | 6 | 18 | 10.80 | 2.16 | 0.18 | 0.23 | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 0.45 | 0.18 | 1.04 | 14.00 | 1.48 | 15.47 |
| 66 | उ0कृ0नि0, मुरादाबाद | 8 | 24 | 14.40 | 2.88 | 0.24 | 0.30 | 0.00 | 7.00 | 17.00 | 0.53 | 0.26 | 1.32 | 18.60 | 1.97 | 20.57 |
| 67 | उ0कृ0नि0, रामपुर | 8 | 24 | 14.40 | 2.88 | 0.24 | 0.30 | 0.00 | 7.00 | 17.00 | 0.53 | 0.26 | 1.32 | 18.60 | 1.97 | 20.57 |
| 68 | उ0कृ0नि0, सम्भल | 6 | 18 | 10.80 | 2.16 | 0.18 | 0.23 | 0.00 | 4.00 | 14.00 | 0.30 | 0.21 | 0.92 | 13.88 | 1.48 | 15.35 |
| | ***मुरादाबाद मण्डल का योग*** | **39** | **118** | **70.80** | **14.16** | **1.18** | **1.48** | **0.00** | **38.00** | **80.00** | **2.85** | **1.20** | **6.71** | **91.67** | **9.68** | **101.34** |
| 69 | उ0कृ0नि0, मुजफ्फर नगर | 9 | 25 | 15.00 | 3.00 | 0.25 | 0.31 | 0.00 | 6.00 | 19.00 | 0.45 | 0.29 | 1.30 | 19.30 | 2.05 | 21.35 |
| 70 | उ0कृ0नि0, सहारनपुर | 11 | 34 | 20.40 | 4.08 | 0.34 | 0.43 | 0.00 | 14.00 | 20.00 | 1.05 | 0.30 | 2.12 | 26.60 | 2.79 | 29.38 |
| 71 | उ0कृ0नि0, शामली | 5 | 18 | 10.80 | 2.16 | 0.18 | 0.23 | 0.00 | 3.00 | 15.00 | 0.23 | 0.23 | 0.86 | 13.82 | 1.48 | 15.29 |
| | ***सहारनपुर मण्डल का योग*** | **25** | **77** | **46.20** | **9.24** | **0.77** | **0.96** | **0.00** | **23.00** | **54.00** | **1.73** | **0.81** | **4.27** | **59.71** | **6.31** | **66.02** |
| 72 | उ0कृ0नि0, चन्दौली | 9 | 26 | 15.60 | 3.12 | 0.26 | 0.33 | 0.00 | 6.00 | 20.00 | 0.45 | 0.30 | 1.34 | 20.06 | 2.13 | 22.19 |
| 73 | उ0कृ0नि0, गाजीपुर | 16 | 44 | 26.40 | 5.28 | 0.44 | 0.55 | 0.00 | 14.00 | 30.00 | 1.05 | 0.45 | 2.49 | 34.17 | 3.61 | 37.78 |
| 74 | उ0कृ0नि0, जौनपुर | 21 | 58 | 34.80 | 6.96 | 0.58 | 0.73 | 0.00 | 16.00 | 42.00 | 1.20 | 0.63 | 3.14 | 44.90 | 4.76 | 49.65 |
| 75 | उ0कृ0नि0, वाराणसी | 8 | 20 | 12.00 | 2.40 | 0.20 | 0.25 | 0.00 | 4.00 | 16.00 | 0.30 | 0.24 | 0.99 | 15.39 | 1.64 | 17.03 |
| | ***वाराणसी मण्डल का योग*** | **54** | **148** | **88.80** | **17.76** | **1.48** | **1.85** | **0.00** | **40.00** | **108.00** | **3.00** | **1.62** | **7.95** | **114.51** | **12.14** | **126.65** |
| | **योग** | **826** | **2311** | **1386.60** | **277.32** | **23.11** | **27.11** | **0.89** | **596** | **1715** | **44.70** | **25.73** | **121.54** | **1785.46** | **189.50** | **1975.00** |
| वर्ष 2023–24 की सृजित देनदारियाँ (संलग्नक–2 के अनुसार) | | | | | | | | | | | | | | | | **22.55** |
| महायोग | | | | | | | | | | | | | | | | **1997.55** |

अपर कृषि निदेशक (प्रसार),
उत्तर प्रदेश।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-2

प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीज्वेक्शन) योजना वर्ष 2023–24 के अवशेष वित्तीय दायित्व जिन्हें वर्ष 2024–25 में पूर्ण किया जाना है।

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | प्रशिक्षण | निबन्धन प्रमाण पत्र (बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी) | बरिसर किराया | बैंको द्वारा ऋण वितरण पर ब्याज अनुदान | कुल वित्तीय लक्ष्य (धनराशि रू0 में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वित्तीय (रू0 में) | वित्तीय (रू0 में) | वित्तीय (रू0 में) | वित्तीय (रू0 में) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | उप कृषि निदेशक फिरोजाबाद | 192900 | 0 | 0 | 0 | 192900 |
| 2 | उप कृषि निदेशक फतेहपुर | 209330 | 0 | 0 | 0 | 209330 |
| 3 | उप कृषि निदेशक प्रतापगढ | 145780 | 0 | 0 | 0 | 145780 |
| 4 | उप कृषि निदेशक बलिया | 0 | 9751 | 24000 | 0 | 33751 |
| 5 | उप कृषि निदेशक शाहजहाँपुर | 0 | 0 | 0 | 205740 | 205740 |
| 6 | उप कृषि निदेशक बस्ती | 163770 | 0 | 0 | 0 | 163770 |
| 7 | उप कृषि निदेशक बाँदा | 0 | 0 | 72000 | 0 | 72000 |
| 8 | उप कृषि निदेशक हमीरपुर | 71400 | 0 | 0 | 0 | 71400 |
| 9 | उप कृषि निदेशक, श्रावस्ती | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 |
| 10 | उप कृषि निदेशक अम्बेडकर नगर | 24600 | 2500 | 96000 | 0 | 123100 |
| 11 | उप कृषि निदेशक सुल्तानपुर | 232810 | 0 | 0 | 0 | 232810 |
| 12 | उप कृषि निदेशक गोरखपुर | 63000 | 0 | 0 | 0 | 63000 |
| 13 | उप कृषि निदेशक कुशीनगर | 200690 | 0 | 0 | 0 | 200690 |
| 14 | उप कृषि निदेशक महराजगंज | 57190 | 0 | 0 | 0 | 57190 |
| 15 | उप कृषि निदेशक झाँसी | 0 | 3126 | 39000 | 106626 | 148752 |
| 16 | उप कृषि निदेशक लखीमपुर खीरी | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
| 17 | उप कृषि निदेशक गौतमबुद्ध नगर | 10400 | 0 | 0 | 50 | 10450 |
| 18 | उप कृषि निदेशक जौनपुर | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 |
| 19 | उप कृषि निदेशक वाराणसी | 14000 | 0 | 0 | 0 | 14000 |
| | महायोग | 1585870 | 15377 | 341000 | 312416 | 2254663 |

अपर कृषि निदेशक (प्रसार)
कृषि भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-3

संख्या-1।/2023/127/12-5-2023-व0-06/2017

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कृषि विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5

लखनऊः दिनांकः 31 जनवरी,2023

विषयः- प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना को आगामी 05 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक) प्रदेश में संचालित किया जाना।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि किसानों के हित लाभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग कर कृषि सेक्टर में रोजगार सृजन को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2015-16 से "प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना" क्रियान्वित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को उनके फसल उत्पादों के लिए कृषि केन्द्र (एग्रीजंक्शन) बैनर तले समस्त सुविधाएं "वन स्टॉप शॉप" के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। योजना संचालन के प्रारम्भ वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 तक कुल 4311 एग्रीजंक्शन केन्द्र प्रदेश में स्थापित किये जा चुके हैं।

2- सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में संचालित प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना को आगामी चरण में अगले 05 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक) कुल 10,000 एग्रीजंक्शन केन्द्र स्थापित करने के लक्ष्य हेतु संचालित किये जाने तथा पूर्व से संचालित योजना में कतिपय संशोधन किये जाने हेतु निम्नानुसार श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

3. **योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :-**

(i) एग्रीजंक्शन (वन स्टॉप शॉप) केन्द्रों के माध्यम से निम्न सेवाओं को एक छत के नीचे उपलब्ध कराया जाएगा।

(क) उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माइक्रोन्यूट्रिएन्टस्, वर्मीकम्पोस्ट, कीटनाशक तथा जैव कीटनाशकों सहित समस्त कृषि निवेशों की आपूर्ति।

(ख) प्रसार सेवाएं तथा कृषि प्रक्षेत्र निदर्शन।

(ग) मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर संस्तुत उर्वरक एवं खाद की संतुलित मात्रा के बारे में किसानों को मार्गदर्शन देना।

(घ) लघु कृषि यंत्रों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ड.) विभिन्न कृषि योजनाओं/स्कीम जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि के संबंध में परामर्शी सेवाएं दिये जाने एवं प्रचार हेतु एग्रीजंक्शन केन्द्रों पर LCD/AV Aids के लगाये जाने की व्यवस्था।

उक्त के अतिरिक्त एग्रीजंक्शन केन्द्रों द्वारा कृषि उपकरणों की मरम्मत तथा अनुरक्षण, पशुआहार, कृषि उत्पादों एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों की बिक्री मौसम/विपणन व अन्य सम्बंधित सूचनाएं किसानों को उपलब्ध कराने जैसे कार्य भी किए जा सकते हैं।

4. **कार्य क्षेत्र :-** प्रदेश के 75 जनपदों के समस्त विकास खण्ड।

5. **भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य :-**

योजनान्तर्गत राज्य में आगामी 05 वर्षों में कुल 10,000 एग्रीजंक्शन केन्द्र स्थापना का भौतिक लक्ष्य है। इस प्रकार योजना अन्तर्गत प्रदेश की सभी विकास खण्डों एवं तहसील मुख्यालयों पर स्थापित "वन स्टाप शाप" पर किसान गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश एवं कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ युवा कृषि स्नातक स्वरोजगार के लिए सक्षम होंगे।

राज्य सरकार द्वारा प्रति एग्रीजंक्शन केन्द्र की स्थापना हेतु औसतन धनराशि रू. 85450 व्यय अनुमानित है :-

**(एक एग्रीजंक्शन केन्द्र पर प्रस्तावित औसत व्यय रू० 85450 का मदवार विवरण)**

| क्र सं0 | कार्य विवरण | धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | ऋण सीमा की धनराशि रूपये 5.00 लाख पर अग्रिम ब्याज अनुदान अधिकतम प्रति केन्द्र (बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में) परियोजना पर बैंक ऋण स्वीकृति रूपये 5.00 लाख से कम होने की दशा में अग्रिम ब्याज अनुदान (बैंक एंडेड सब्सिडी) तदनुसार अनुपातिक रूप से कम होगा। | 60,000 |
| 2 | परिसर किराया 50 प्रतिशत प्रति माह अधिकतम रूपये 12000/- किराया (रू० 1000/- प्रतिमाह केवल प्रथम वर्ष के लिए) | 12,000 |
| 3 | निवेशों पर निर्गत किये जाने वाले लाइसेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति<br>कृषि निवेशवार लाइसेन्स शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरण :-<br>बीज लाइसेन्स शुल्क (रूपये 1000/-प्रति केन्द्र)<br>उर्वरक लाइसेन्स सामान्य क्षेत्रों में प्रस्तावित केन्द्रों हेतु शुल्क (रूपये 1250/- प्रति केन्द्र)<br>i) कीटनाशी रसायन लाइसेन्स शहरी क्षेत्रों में प्रस्तावित केन्द्रों हेतु शुल्क (रू० 7500/- प्रति केन्द्र)<br>ii) कीटनाशी रसायन लाइसेन्स ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित केन्द्रों हेतु शुल्क (रू० 1500/- प्रति केन्द्र)<br>(नोट : औसतन लक्ष्य का अधिकतम 25% शहरी क्षेत्र में आच्छादन के आधार पर स्थापित होने वाले केन्द्रों हेतु अनुमानित औसत) | 5,250 |
| 4 | 13 दिवसीय प्रशिक्षण के आयोजन, विज्ञापन, स्टेशनरी कार्यालय के अन्य विविध व्यय रू० 8200/- प्रति केन्द्र (प्रशिक्षण व्यय @ रू० 400/- लाभार्थी/प्रतिदिन, 13 दिन हेतु कुल रू० 5200 + अन्य व्यय रू० 3000) | 8,200 |
| | योग | 85,450 |

वर्ष 2015-16 (योजना प्रारम्भ वर्ष) के सापेक्ष वर्ष 2022-23 तक विभिन्न कृषि निवेशों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में लाभार्थी द्वारा समुचित रूप से व्यवसाय संचालन के दृष्टिगत योजनान्तर्गत बैंक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ऋण की सीमा को रू0 5.00 लाख किया जाना उचित पाया गया है। बैंक ऋण की सीमा रू0 5.00 लाख लाभार्थी को अनुमन्य कराये जाने से अग्रिम ब्याज अनुदान (बैंक एंडेड सब्सिडी) को भी रू0 42,000 से बढ़ाकर अधिकतम रू0 60,000 किया जाता है।

प्रशिक्षण की अवधि को भारत सरकार द्वारा निर्धारित कृषि उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम (Course Code NARQ 30021-AGRI) के अनुसार 13 दिवसीय किया जाता है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कौशल विकास की योजनाओं के लिए सामान्य मानदण्डों को संशोधित किये जाने के कारण प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजनान्तर्गत राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, समेती, रहमानखेड़ा, लखनऊ/आर-सेटीज (Rural Self Employment Training Institute) पर प्रत्येक चयनित लाभार्थी के 13 दिवसीय प्रशिक्षण एवं योजना के विविध व्यय हेतु प्रति लाभार्थी इस मद हेतु कुल रू० 8200/- के व्यय की अनुमन्यता योजनान्तर्गत किया जायेगा।

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना के मद में रूपये 647.17 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है। आगामी पांच वर्षों में वर्षवार एग्रीजंक्शन केन्द्र स्थापना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नवत है:-

| क्र सं | वित्तीय वर्ष | एग्रीजंक्शन स्थापना लक्ष्य | |
|---|---|---|---|
| | | भौतिक लक्ष्य (संख्या) | वित्तीय भार अनुमानित (लाख रूपये में) |
| 1 | 2022-23 | 756 | 647.17 |
| 2 | 2023-24 | 2311 | 1975.00 |
| 3 | 2024-25 | 2311 | 1975.00 |
| 4 | 2025-26 | 2311 | 1975.00 |
| 5 | 2026-27 | 2311 | 1975.00 |
| कुल | | 10,000 | 8547.17 |

**6. योजना का क्रियान्वयन :-** योजना क्रियान्वयन हेतु प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं :-

**(i) एग्रीजंक्शन हेतु पात्रता :-** उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक/स्नातक जो कृषि एवं सहबद्ध विषयों यथा– उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पुशु चिकित्सा, मुर्गी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पालन एवं इस तरह की गतिविधियां जो किसी राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालयों से डिग्रीधारी है, जो आई०सी०ए०आर०/यू०जी०सी० द्वारा मान्यता प्राप्त हो, पात्र होंगे।

इसके अतिरिक्त अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी/कृषि विषय में इन्टरमीडिएट योग्य प्रार्थी पर भी विचार किया जायेगा।

(ii) **चयन प्रक्रिया :-** उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले कृषि में प्रशिक्षित युवाओं का चयन जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पात्रों की छंटनी (Screening) के उपरान्त किया जायेगा। इस समिति में मजिस्ट्रेट/मुख्य विकास अधिकारी, उप निदेशक (कृषि विभाग), एल०डी०एम० एवं सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि० सदस्य होंगे। अन्य विभागों से संबंधित प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

**जिला स्तर पर निम्न समिति का गठन किया जायेगा :-**

| | | |
|---|---|---|
| 1. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी | - | अध्यक्ष |
| 2. उप कृषि निदेशक | - | सदस्य/सचिव |
| 3. एल०डी०एम० एवं सचिव | - | सदस्य मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| 4. जिला सहकारी बैंक लिमिटेड | - | सदस्य |
| 5. कृषि विज्ञान केन्द्र के अध्यक्ष/वरिष्ठ वैज्ञानिक | - | सदस्य |

चयन की प्रक्रिया जनपद में गठित समिति द्वारा पारदर्शी ढंग से की जाएगी। इस हेतु समिति द्वारा एक निर्धारित समय-सीमा में आवेदन प्राप्त करते हुए शासनादेश में आयु सीमा के मानक के दृष्टिगत चयन सुनिश्चित किया जाएगा। पारदर्शी प्रतीक्षारत सूची भी श्रेणीबद्ध की जाएगी।

जनपद में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 50 प्रतिशत अधिक लाभार्थियों का चयन किया जाएगा, जिससे कि अपरिहार्य परिस्थितियों में भी जनपदीय लक्ष्य की प्रतिपूर्ति शत-प्रतिशत की जा सके। चयन के उपरान्त लाभार्थी शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें यह घोषणा होगी कि तीन वर्ष तक उनके द्वारा 'वन स्टाप शॉप' का संचालन किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में कृषि विभाग की समस्त योजनाओं से उन्हें प्रतिबन्धित (ब्लैक लिस्ट) कर दिया जायेगा तथा उन पर किये गये व्यय की विभाग द्वारा वसूली की जाएगी। चयनित लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची के लाभार्थियों को अवसर दिया जाएगा।

(iii) **प्रति एग्रीजंक्शन कुल प्रोजेक्ट लागत :-** रू० 6.00 लाख (अधिकतम)

(iv) **ऋण सीमा :-** रू० 5.00 लाख

(v) **मार्जिन मनी :-** रू० 1.00 लाख (प्रोजेक्ट लागत का 17.00 प्रतिशत) ऋणी आवेदक द्वारा अभिदान किया जायेगा। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी कृषि निवेशों की आपूर्ति एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए अनुमन्य अनुदान प्राप्त करने के लिए मान्य होंगे। योजना का उद्देश्य क्रेडिट निवेश दर को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश में कृषि पूंजी सृजित करना, ताकि **"वन स्टाप शाप"** के स्थापना से कृषकों का लाभान्वित किया जा सके।

(vi) **ऋण वितरण :-** प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने के उपरान्त।

(vii) **लाक इन पीरियड :-** 36 माह (7.5 प्रतिशत अग्रिम ब्याज अनुदान की धनराशि 03 वर्षों के प्रस्तावित कार्य हेतु बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में अधिकतम रूपये 60,000/- की सीमा तक दी जायेगी, परन्तु लाभार्थी द्वारा ऋण खाता 03 वर्ष से पूर्व बन्द नहीं किया जाएगा)। ऋण स्वीकृति रूपये 5.00 लाख से कम होने की दशा में अग्रिम ब्याज अनुदान (बैंक एंडेड सब्सिडी) तदनुसार अनुपातिक रूप से कम होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(viii) **परियोजना अवधि :-** परियोजना पूर्ण होने की अवधि बैंक द्वारा ऋण की प्रथम किस्त अवमुक्त/वितरण होने के पश्चात 6 माह होगी, जिसे ऋण स्वीकृता बैंक द्वारा समुचित कारण इंगित किये जाने की दशा में अधिकतम 3 माह तक और बढ़ाया जा सकेगा।

(ix) **डाक्यूमेंटेशन :-** बैंक में लागू डायरेक्ट एग्री सिग्मेन्ट अग्रिम के अनुसार।

(x) **पुनर्भुगतान :-** 03 माह के मोरैटोरियम अवधि को सम्मिलित करते हुए 36 से 60 माह में किया जायेगा। पुनर्भुगतान शेड्यूल ऋण की सम्पूर्ण धनराशि के सापेक्ष इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा कि सब्सिडी की धनराशि का समायोजन शुद्ध ऋण की धनराशि की भरपाई (liquidation) के पश्चात हो।

(xi) यदि परियोजना निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं की जाती है तो अनुदान (subsidy) की धनराशि अनुमन्य नहीं होगी और यदि कोई अनुदान की धनराशि बैंक को दी गयी है तो वह संबंधित उप कृषि निदेशक को बैंक द्वारा वापस किये जाने की बाध्यता होगी तथा वापस होने वाली अनुदान की धनराशि उप कृषि निदेशक द्वारा राजकोष में जमा की जायेगी।

(xii) संबंधित बैंक परियोजना अन्तर्गत सृजित परिसंपतियों का बीमा भी सुनिश्चित करायेंगे।

(xiii) ऋण प्रदान करने वाले बैंक द्वारा निर्धारित अवधि में या समय-समय पर औचक निरीक्षण कर बैंक एन्डेड सब्सिडी हेतु उद्यमी की पात्रता की पुष्टि करनी होगी एवं विभाग को इसकी रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। बैंक द्वारा तीन साल के लाक इन अवधि के अंत में एक Consolidated रिपोर्ट तैयार कर विभाग को भेजी जाएगी।

(xiv) बैंक एन्डेड सब्सिडी के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि को बैंक द्वारा "Subsidy Reserve Fund Account" में रखा जाएगा तथा इस पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जायेगा। उद्यमी का लोन खाता अलग संचालित किया जायेगा।

7. **प्रशिक्षण एण्ड हैण्ड होल्डिंग :-** चयनित आवेदकों को योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि से प्रशिक्षण, राज्य कृषि प्रबन्ध विस्तार प्रशिक्षण संस्था (समेती, रहमानखेड़ा, लखनऊ/आर-सेटीज) द्वारा कम से कम 13 दिन का ग्रामीण व्यवसाय विकास योजना (आर०ई०डी०पी०) का प्रशिक्षण कराया जायेगा।

8. **योजना का वित्त पोषण :-** योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाएगी।

9. **प्रशिक्षित उद्यमियों के कर्तव्य एवं दायित्व :-** एग्रीजंक्शन उद्यमी अपने क्षेत्र के किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश आपूर्ति के साथ-साथ नवीनतम कृषि तकनीकी और विभागीय योजनाओं का प्रचार करेंगे। विभाग द्वारा संचालित मेला, गोष्ठी एवं अन्य कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे और कृषि विभाग के प्रसार कार्यकर्ताओं को उनके कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे। समय-समय पर कृषि विभाग के सहयोग से अपने ज्ञान को समुन्नत करते हुए स्वयं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाये रखेंगे।

10. **योजना का अभिसरण :-** एग्रीजंक्शन केन्द्रों को कृषि के विविध आयामों से युक्त, सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए इस योजना का अभिसरण अन्य योजनाओं के साथ उक्त योजनाओं के अनुमन्य प्राविधानों और प्रचलित दिशा-निर्देशों में अनुमन्यता के अधीन किये जाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

11. **योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण :-** योजना के क्रियान्वयन का पूर्ण उत्तरदायित्व जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक का होगा तथा मण्डल स्तर पर संयुक्त कृषि निदेशक इसके पर्यवेक्षण हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी क्षेत्रीय स्थल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे। योजना के सफल संचालन हेतु राज्य स्तर पर निदेशक, कृषि एवं अपर कृषि निदेशक (प्रसार) योजना के नियंत्रण अधिकारी होंगे। एग्रीजंक्शन केन्द्रों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समय समय पर किसानों से फीडबैक लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कृपया तद्नुसार योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा० देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन,
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
7- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, लखनऊ,
8- अपर कृषि निदेशक (प्रसार) , कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, लखनऊ,
9- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक जनपदीय/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,
10- सहायक निदेशक(कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, लखनऊ को पोर्टल पर व्यवस्था करने हेतु,
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा० देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक 4

# शपथ पत्र

समक्ष उप कृषि निदेशक..... उ0प्र0।

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री.....उम्र ..... निवासी ग्राम/मो0 .....पोस्ट.....थाना.....वि0ख0..... .....जिला..... का निवासी हूँ तथा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

1. प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजनान्तर्गत चयन के उपरान्त योजना के समस्त नियम एवं शर्तों का पालन करूँगा।
2. योजनान्तर्गत निर्धारित निःशुल्क प्रशिक्षण पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ प्राप्त किया जायेगा।
3. प्रशिक्षणोपरान्त एग्री जंक्शन केन्द्र स्थापना हेतु बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक मार्जिन मनी निवेश करने तथा बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक औपचारिकताए पूर्ण करने हेतु सहमत हूँ।
4. योजनान्तर्गत चयनोपरान्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात यदि मेरे द्वारा एग्री जंक्शन केन्द्र स्थापित करने की कार्यवाही नहीं की जाती है तो योजनान्तर्गत मेरे ऊपर प्रशिक्षण में किया गया व्यय, निबन्धन पत्र निर्गमन हेतु दिये गये अनुदान की धनराशि मेरे द्वारा विभाग को वापस करने की मुझ पर बाध्यता होगी।
5. योजना के प्राविधानों के अनुसार मेरे द्वारा कृषि निवेश (बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन) व्यवसाय हेतु अनुज्ञा/प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु समस्त औपचारिकताए पूर्ण करते हुए नियमानुसार आवेदन हेतु मैं बाध्य हूँ।
6. योजना के प्राविधानों के अनुसार बैक एण्डेड सब्सिडी के रूप में मिलने वाले ब्याज अनुदान के लॉक-इन पीरीयड (तीन वर्ष) तक लगातार एग्री जंक्शन केन्द्र का संचालन करूँगा, अन्यथा की स्थिति में देय ब्याज अनुदान विभाग को वापस करने के लिए मैं बाध्य हूँ।
7. योजनान्तर्गत चयनोपरान्त यदि 03 वर्ष के पहले उद्यम बन्द किया जाता है तो कृषि विभाग द्वारा मुझे समस्त योजनाओं से प्रतिबन्धित (ब्लैकलिस्ट) कर दिया जाय एवं देय ब्याज अनुदान विभाग को वापस करने के लिए बाध्य हूँ।
8. योजनान्तर्गत एग्रीजंक्शन केन्द्र स्थापना उपरान्त 03 वर्ष तक लगातार उद्यम संचालन करते हुये शासन/विभाग द्वारा निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों का पालन करूँगा।

दिनॉक

शपथी

## सत्यापन

मैं शपथी सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की धारा-1 से 06 तक मेरे निजी जानकारी में सत्य व सही हैं। इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है और न ही गलत बयान किया गया है।

दिनॉक

शपथी

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-5

Krishi Udyami

**Course code NARO30021-AGRI: Session Plan**

| Day | Session | Subject |
|---|---|---|
| 01 | I | Registration & Inauguration, about the Institute, rules & regulations of training/institute |
| | II | Micro lab – Ice breaking exercise |
| | III | Achievement Motivation – Confidence building |
| | IV | Entrepreneurship Development – What, Why & How?– (introduction) |
| 02 | I & II | Entrepreneurial competencies – importance, explanation with examples, case study for identification of different competencies |
| | III & IV | Risk Taking & Goal Setting – Ring Toss Exercise |
| 03 | I | Present Agricultural scenario in the country vis-à-vis Global scenario – New vistas in Agriculture and Allied Activities |
| | II | Monsoon pattern in India & its effect on Indian Agriculture, preparing for the season |
| | III & IV | Soil, formation, fertility and productivity/ Sampling analysis and soil test reports. Plant nutrients, major & minor elements, role and deficiency Symptoms – Balanced nutrients |
| 04 | I& II | High Yielding Farming techniques v/s organic farming techniques – A comparison. Use of fertilizers & organic manures, vermi composting |
| | III | Role of beneficial insects, microbes and other fauna, organisms – Balanced ecosystem |
| | IV | Tower building – eradicating dependency syndrome |
| 05 | I | Role of quality seeds in production, its importance & practices to be followed |
| | II | Major of the food crops region (3 to 4 crops) - package of practices |
| | III | Major commercial field crops of the region (3 to 4 crops) - package of practices |
| | IV | Dry land farming techniques – moisture conservation-practices |
| 06 | I | Efficient irrigation systems - sprinkler irrigation & drip irrigation etc |
| | II | Integrated farming systems for small & marginal farmers |
| | III & IV | Common insects/pests & diseases of the major crops of the region & their control, integrated pest management |
| 07 | I & II | Major horticulture crops of the region (3 to 4 crops, fruits crop, plantation crops, vegetable crops) - package of practices |
| | III | Scope & cultivation of medicinal & Aromatic Plants |
| | IV | Problem solving–explanation through case studies and exercises, creativity – creative thinking |
| 08 | I | High-tech Agriculture, scope description, use of latest machineries & implements for |



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | |
|---|---|---|
| | | farming |
| | II | Pisciculture-description, scope, inland fisheries – economics |
| | III & IV | Visit to progressive farm/research station, interaction with farmers/agri scientist |
| 09 | I | Dairy farming, breeds, selection of breeds, artificial insemination – managementaspects for clean milk production, milk products |
| | II | Nutrition & feeding of dairy animals, preparation of feeds & use of azola, fodder crops, calf management, |
| | III | Dairy animals - important diseases & their control, vaccination, economics of a dairy unit |
| | IV | Time Management |
| 10 | I | Rearing of sheep, piggery, rabbit, and backyard poultry for supplementary income to small & marginal farmers. |
| | II &III | Plant propagation techniques - grafting, budding, layering, tissue culture |
| | IV | Commercial Nursery Management |
| 11 | I | Agro Processing – Fruit & vegetable preservation |
| | II | Agri business – a new avenue, description & scope |
| | III &IV | Marketing of Agricultural produces – e-business in agriculture |
| 12 | I & II | Banking--deposits & advances, lending schemes to agricultural sector, Government schemes |
| | III | Crop planning & preparation of farm models – farm budgeting |
| | III | Preparation of Project Reports of Agriculture investments-projection of financial outlay |
| 13 | I | Insurance for Agriculture & Allied Activities – Crop Insurance and Livestock Insurance |
| | II | Supporting Institutions & development schemes |
| | III | Assessment and Evaluation |
| | IV | Feedback & Valedictory |



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-6

एग्रीजंक्शन योजनान्तर्गत वर्ष———— की प्रगति प्रेषण हेतु निर्धारित प्रारूप।

जनपद का नाम –  माह ————

## प्रारूप–"अ"

| क्रम | कार्यमद | भौतिक प्रगति (संख्या में) | | वित्तीय प्रगति (हजार रू0 में) | | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ति | लक्ष्य | पूर्ति | |
| 1. | एग्रीजंक्शन केन्द्रों की स्थापना | | | | | |
| 2. | एग्रीजंक्शन केन्द्रों की स्थापना हेतु लाभार्थियों का चयन | | | | | |
| 3. | 13 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों की संख्या | | | | | |
| 4. | चयनित लाभार्थियों को जारी निबन्धन प्रमाण पत्रों की संख्या (बीज/उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायन) | | | | | |
| 5. | परिसर के किराये हेतु केन्द्रों की संख्या एवं अनुदान की धनराशि | | | | | |
| 6. | ऋण हेतु बैंकों में प्रेषित डी0पी0आर0 की संख्या | | | | | |
| | 1. बैंक द्वारा स्वीकृत किये गये डी0पी0 आर0 की संख्या | | | | | |
| | 2.ऋण स्वीकृत डी0पी0आर0 के सापेक्ष बैंक खाते में स्थानान्तरित धनराशि (केन्द्रों की संख्या एवं अनुदान की धनराशि) | | | | | |
| | 3. स्वीकृत डी0पी0आर0 के सापेक्ष लाभार्थियों के खाते में बैंक द्वारा अवमुक्त धनराशि | | | | | |
| | 4.व्यवसाय प्रारम्भ करने वाले लाभार्थियों की संख्या | | | | | |
| | (अ). बैंक द्वारा प्राप्त ऋण से | | | | | |
| | (ब). स्वय के संसाधन से | | | | | |
| 7. | अन्य व्यय | | | | | |
| | योग | | | | | |
| 8. | मानक मदवार व्यय | | | | | |
| 8(1) | मानक मद 27 सब्सिडी | | | | | |
| 8(2) | मानक मद 42 अन्य व्यय | | | | | |

## प्रारूप–'ब'

| क्रम | जनपद का नाम | आवेदक का नाम व पूरा पता | बैंक का नाम, खाता संख्या व आई0एफ0एस0 सी0 कोड सहित | प्रेषित डी. पी.आर. का दिनांक | स्वीकृत डी.पी. आर. की संख्या | बैंक द्वारा लाभार्थी के खाते में अवमुक्त डी.पी. आर. की संख्या | अवशेष डी.पी.आर. की संख्या | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।